न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 42/2014

RCMS No. 2014/00091

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 रम्भा पुत्री खेताराम जाति सिरवी निवासी किरवा तहसील रानी जिला पाली		1. हिराराम पुत्र पीराराम जाति सिरवी निवासी किरवा तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत किरवा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, किरवा द्वारा मिसल संख्या 246/2007, संकल्प संख्या 04 दिनांक 21.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है, उस व्यक्ति का न तो ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पेश हुआ एवं न ही विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया। जिस परिसर का पट्टा दिया गया है, वो मकान प्रार्थी के पिता का है, जो अप्रार्थी हिराराम का सगा भाई है। हिराराम के कोई संतान नहीं है तथा प्रार्थी के पिता के भी एकमात्र पुत्री प्रार्थीया ही है। ऐसी स्थिति में जिस प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है एवं जिसे पुश्तैनी माना है, उसका पट्टा अकेले हिराराम के नाम का जारी नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रार्थीया भी जिवित है तथा प्रार्थीया की माता भी जिवित है। इस कारण अकेले हिराराम के पक्ष में जो पट्टा जारी किय गया है, वो पुश्तैनी परिसर का प्रार्थी एवं प्रार्थीया की माता को हक अधिकारों से वंचित रखा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 2 माह में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली। जबकि मिसल में न तो स्वयं के बयान हुए एवं यहां तक कि जिन दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए, उनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है, क्योंकि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उनकी न तो उम्र अंकित है तथा न ही कितने समय से अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है, यह अंकित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा सुदा आवासीय मकान की भूमि है, जिस पर मकान निर्मित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का रहवास है। उक्त भूमि पर पुराना मकान निर्मित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई तथा ग्राम सेवक को नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने एवं तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। नक्शा मौका तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तरिम आदेश पारित किया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर जैर निगरानी आज्ञा पारित की गई। जिसकी पालना में राशि जमा करवाने पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी होना बताया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो इस तथ्य की ताईद करता हो, कि उक्त भूमि को पुश्तैनी होना साबित करता हो। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त तथ्यों एवं मौके, कब्जे आदि को दृष्टिगत रखते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही प्रक्रिया अपनाते हुए सम्पादित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, किरवा द्वारा मिसल संख्या 246/2007, संकल्प संख्या 04 दिनांक 21.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.12.2009के विरूद्ध पेश की गई है। पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर द्वारा अपने पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण आदि शुल्क जमा करवाये। इस पर 20.03.2008 को मिसल कायम कर वांछित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को मनोनीत किया तथा नियम 145 (3) के तहत नक्शा तैयार करने हेतु सचिव को आदेश दिये गये। दिनांक 05.04.2008 को ग्राम सेवक द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया तथा वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर नियम 148 (2) के तहत अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 05.05.2008 तक किसी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 21.05.2008 को दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर नियम 157 (ख) के तहत 200/– रूपये जमा करवाने पर पट्टा जारी कराने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 14.12.2009 को राशि जमा करवाने हेतु विक्रय विलेख जारी करने के आदेश पारित किए।

पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उक्त भूमि में स्वयं के अधिकारों का परीक्षण करवाना चाहा है, मुख्य रूप से हक हकूकों के निर्धारण का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस कारण प्रार्थीया का उक्त तथ्य क्षैत्राधिकार विहिन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीया अपने हक अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, किरवा द्वारा मिसल संख्या 246/2007, संकल्प संख्या 04 दिनांक 21.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.12.2009 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली